रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224783
CG-DL-E-29012021-224783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/ माघ 9, 1942
No. 414] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 451(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना [संख्या का. आ. 2863 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2017 तथा का. आ. 1457 (अ), तारीख 9 मई, 2017] द्वारा हरियाणा राज्य के रारा सं. 148बी के 4.90 किमी से 94.60 किमी (राजस्थान / हरियाणा सीमा से भिवानी खंड) तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–11 के 0.000 किमी से 78.50 किमी (रेवाड़ी- नारनौल–राजस्थान सीमा) तक के खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपे हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा तथा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148बी के डिजाइन किमी के 0.000 किमी से 31.240 किमी (विद्यमान किमी 7.960 से किमी 39.340) के पनियाला मोड़ से नारनौल खंड तथा रारा-148बी के डिजाइन किमी 28.000 से किमी 51.460 तक नारनौल बाइपास और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के डिजाइन किमी 0.000 से 11.300 किमी (विद्यमान किमी 68.700 से किमी 79.000) नारनौल से पचेरी कलाँ के सड़क खंड की निवल लंबाई 41.136 किमी तथा 4.12 किमी (जिसकी लंबाई 0.412 किमी है) की समकक्ष संरचना (जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के चार अथवा अधिक लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 30.512 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या

अधिक है, हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1.नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात्:

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सिरोही बहाली गांव के निकट डिजाइन कि.मी.23.000 (राष्ट्रीय राजमार्ग -148बी के विद्यमान कि.मी. 16.000) पर	41.136 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा संरचना की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरू होते हुए	मिलते हुए	बाईपास की लंबाई तथा लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी.में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
हरियाणा राज्य के						चार या अधिक लेन के लिए

महेंद्रगढ़ जिले में सिरोही बहाली गांव के निकट डिजाइन कि.मी.23.000 राष्ट्रीय राजमार्ग-148बी के विद्यमान कि.मी. 16.000 पर	राष्ट्रीय राजमार्ग-148 बी का नांगल चौधरी बाईपास + निज़ामपुर लिंक रोड़	डिजाइन कि.मी. 15.850 (विद्यमान कि.मी. 23.450 + डिजाईन कि.मी. 0.000)	डिजाइन कि.मी. 20.350 (विद्यमान कि.मी.18.620 + डिजाईन कि.मी. 2.760)	7.176 (4.5+ 2.676)	178.26	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	नारनौल बाईपास , राष्ट्रीय राजमार्ग-148 बी का बाईपास	रारा-148 बी का डिजाइन कि.मी. 28.000	रारा 148 बी का डिजाइन कि.मी. 51.460 (रारा-।। का विद्यमान 68.700 कि.मी.)	23.336	547	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-4

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सडक की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ जिले में सिरोही बहाली गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -148 बी के डिजाइन कि.मी. 23.000 (विद्यमान 16.000 कि.मी.) पर	0.412^	4.12	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ विवरण निम्नानुसार है:

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	2.850	2.950	बड़ा पुल	0.100
2	1.458	1.542	बड़ा पुल	0.084
3	2.058	2.162	बड़ा पुल(आईएलएमएच)	0.104

4	38.138	38.262	आर ओ बी (एनबीपी)	0.124
कुल				**0.412**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275/-रुपए (दो सौ पचहत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विर्निदिष्ट दर का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (1ए) के अनुसार विर्निदिष्ट शुल्क के बराबर का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का अनुमानित मूल्य 3899.91 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं । अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा ।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के

पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. पकाई/ईसी/पैकेज-1/टीपी/2020-2021]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2021

S.O. 451(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O. 2863(E) dated 1st September 2017 and S.O. 1457(E) dated 9th May 2017] issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from kilometer 4.90 to kilometer 94.60 (Rajasthan/Haryana Border to Bhiwani section) of National Highway No.148B and from kilometer 0.00 to kilometer 78.50 (Rewari-Narnaul-Rajasthan Border) of National Highway No.11 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 41.136 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.12 km (having length of 0.412 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 30.512 km costing rupees ten Crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four and more alone section of Paniyala Mor to Narnaul from design kilometer 0.000 to kilometer 31.240 (existing km 7.960 to km 39.340) of National Highway number 148B and Narnaul bypass from design km 28.000 to km 51.460 of NH-148B and Narnaul to Pacheri Kalan From design Km. 0.000 to Km. 11.300 (existing km 68.700 to Km 79.000) of National Highway number 11 in the State of Haryana and Rajasthan and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Design Km 23.000 (Existing Km 16.000 of NH-148 B) near Sirohi Bahali village in Mahendergarh district of Haryana State	41.136 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 23.000 (Existing Km 16.000 of NH-148 B near Sirohi Bahali village in Mahendergarh District of Haryana State	Nangal Choudhary Bypass of NH 148 B + Nizampur Link Road	Design km 15.850 (existing km 23.450) + Design Km 0.000	Design km 20.350 (existing km 18.620) + Design Km 2.760	7.176 (4.5+ 2.676)	178.26	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Narnaul Bypass, Bypass of NH 148 B	Design km 28.000 of NH-148B	Design km 51.460 of NH-148B (existing km 68.700 of NH 11)	23.336	547	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 23.000 (Existing Km 16.000 of NH-148 B near Sirohi Bahali village in Mahendergarh district of Haryana State	0.412 ^	4.12	100% for four and more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	2.850	2.950	Major Bridge	0.100
2	1.458	1.542	Major Bridge	0.084
3	2.058	2.162	Major Bridge (ILMH)	0.104
4	38.138	38.262	ROB (NBP)	0.124
Total				**0.412**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3899.91 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. PIU/EC/PKG-I/TP/2020-2021]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM